पंजाब केसरी
FRI,11 SEPTEMBER 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 5

सी.सी.टी.वी. के पहरे में होंगी एस.ओ.एस. की परीक्षाएं

■बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश

धर्मशाला, 10 सितम्बर (सुनील) : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितम्बर से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल-विहीन बनाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं।

इस बार परीक्षा केंद्रों के हर हिस्से पर सी.सी.टी.वी. कैमरों और लाइव मॉनीटरिंग के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

जारी निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के हॉल, कमरों और प्रवेश-निकास द्वारों पर चालू हालत में सी.सी.टी.वी. कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। संभव होने पर ऑडियो रिकॉर्डिंग और निर्बाध लाइव मॉनीटरिंग के लिए स्टैटिक आई.पी. की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्नपत्रों व गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. की निगरानी वाले कमरों में डबल लॉक वाली स्टील अलमारी का इस्तेमाल होगा, जहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा।

6 महीने तक संभालनी होगी फुटेज

परीक्षा केंद्रों को पूरी परीक्षा की सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी।

किसी भी नैटवर्क या तकनीकी खराबी की स्थिति में तुरंत बोर्ड को सूचित करना होगा। इसके अलावा परीक्षा से जुड़ीं सभी आवश्यक जानकारियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत 'एग्जाम मित्रा एप' के माध्यम से बोर्ड को भेजनी होंगी। बोर्ड ने सभी केंद्रों को परीक्षा से पहले व्यवस्थाओं का फाइनल ट्रायल करने के भी निर्देश दिए हैं।

"सी.सी.टी.वी. कैमरे बंद करना, फुटेज डिलीट करना या उससे छेड़छाड़ करना गंभीर अनियमितता माना जाएगा। व्यवस्थाओं की संयुक्त जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख और आई.टी. इनविजिलेटर की होगी, नियम टूटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

– डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

Aapka Faisla Dt. 11-09-2026

सीसीटीवी के पहरे में होंगे एग्जाम, बोर्ड ने जारी किए सख्त सुरक्षा निर्देश

16 सितंबर से शुरू हो रही राज्य मुक्त विद्यालय (sos) की परीक्षाएं

6 माह तक सुरक्षित रखनी होगी CCTV फुटेज, डबल लॉक में रहेंगे प्रश्नपत्र

धर्मशाला, (आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की परीक्षाओं को लेकर कमर कस ली है। परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल-विहीन बनाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर CCTV कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए सीधी नजर रखी जाएगी। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा की गोपनीयता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी परीक्षा केंद्रों के हॉल, कमरों के साथ-साथ प्रवेश और निकास द्वारों पर चालू हालत में CCTV कैमरे होने चाहिए। कैमरों की कवरेज इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि पूरे परिसर की निगरानी हो सके। जहां तक संभव हो, वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके अलावा, लाइव मॉनिटरिंग को निर्बाध बनाने के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यकतानुसार स्टैटिक आईपी (Static IP) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपनीय परीक्षा सामग्री और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष मानक तय किए गए हैं। यह सामग्री केवल CCTV की निगरानी वाले विशेष कमरों में रखी जाएगी। इन कमरों में डबल लॉक वाली स्टील या लोहे की अलमारी का ही इस्तेमाल होगा और वहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों को पूरी परीक्षा की CCTV फुटेज कम से कम छह महीने तक अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। इसके लिए स्कूलों को पर्याप्त

स्टोरेज का इंतजाम पहले ही करना होगा। किसी भी तकनीकी या नेटवर्क खराबी की स्थिति में बिना किसी देरी के बोर्ड को सूचित कर उसका तुरंत समाधान करना होगा। परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत एग्जाम मित्रा ऐप (Exam Mitra App) के माध्यम से बोर्ड को भेजनी होंगी। डॉ. शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान CCTV कैमरों को जानबूझकर बंद करना, फुटेज को डिलीट करना या उससे छेड़छाड़ करना गंभीर अनियमितता मानी जाएगी। परीक्षा की पूरी मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग और व्यवस्थाओं को सुचारू रखने की संयुक्त जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक और नामित आईटी इनविजिलेटर (IT Invigilator) की होगी। यदि सुरक्षा से जुड़ा कोई भी नियम टूटता है, तो इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ने सभी केंद्रों को परीक्षा से पहले अपनी व्यवस्थाओं का फाइनल ट्रायल करने के निर्देश दिए हैं।

Dainik Jagran Dt. 11-09-2026

कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षा, निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितंबर से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल-मुक्त बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

निर्देशों के अनुसार, सभी परीक्षा केंद्रों के हाल और कमरों के साथ-साथ प्रवेश और निकास द्वारों पर चालू हालत में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। कैमरों की कवरेज इतनी व्यापक होनी चाहिए कि पूरे परिसर की निगरानी की जा सके। वीडियो के साथ आडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। लाइव मानिटरिंग के लिए स्थिर इंटरनेट

छह माह तक सुरक्षित रखनी होगी सीसीटीवी फुटेज, डबल लाक में रहेंगे प्रश्नपत्र, 16 से आरंभ होंगी एसओएस के तहत परीक्षाएं

कनेक्टिविटी और आवश्यकतानुसार स्टैटिक आईपी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए विशेष मानक तय किए गए हैं। यह सामग्री केवल सीसीटीवी की निगरानी वाले विशेष कमरों में रखी जाएगी, जहां डबल लाक वाली स्टील या लोहे की अलमारी का उपयोग होगा। इन कमरों में केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी फुटेज कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। इसके लिए स्कूलों को पर्याप्त स्टोरेज का इंतजाम करना होगा। किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में बोर्ड को तुरंत सूचित करना होगा।

परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां 'एग्जाम मित्र एप' के माध्यम से बोर्ड को भेजनी होंगी। डा. शर्मा ने चेतावनी दी है कि परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बंद करना या फुटेज में छेड़छाड़ करना गंभीर अनियमितता मानी जाएगी।

परीक्षा की मानिटरिंग और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और नामित आइटी इनविजिलेटर की होगी। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

छठी के पाठ्यक्रम से हटाई संक्षिप्त रामायण, शिक्षकों में रोष

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2026-27 के लिए जारी छठी कक्षा की नई पाठ्यपुस्तकों की सूची में संक्षिप्त रामायण को शामिल नहीं किया है। इससे शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्ग में चिंता व्याप्त है। यह पुस्तक 2012 से छठी कक्षा की पाठ्यपुस्तक का हिस्सा रही है और रामायण के ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रही है। राजकीय टीजीटी कला संघ के महासचिव विजय हीर ने कहा कि रामायण भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। इसे पाठ्यक्रम से हटाना गंभीर विषय है। संघ ने सरकार से मांग की है कि इसे पृथक पाठ्यपुस्तक के रूप में पुनः जारी किया जाए, ताकि विद्यार्थी रामायण के अध्ययन से वंचित न रहें।

दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

सीसीटीवी के पहरे में होंगी एसओएस की बोर्ड परीक्षाएं

16 सितंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं, डबल लॉक में रहेंगे प्रश्नपत्र ; छह माह तक सुरक्षित रखनी होगी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग

सवेरा न्यूज/यशपाल सिंह

धर्मशाला,10 सितंबर : राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं में इस बार नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सीधी नजर रहेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितंबर से 8वीं, 10वीं और 12वीं की शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सभी केंद्रों को सीसीटीवी निगरानी, गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा और रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक और नामित सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षक की जिम्मेदारी तय होगी। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के सभी परीक्षा कक्षों, कमरों और प्रवेश तथा निकास द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए। कैमरों की स्थिति ऐसी हो कि परीक्षा परिसर की गतिविधियां स्पष्ट रूप से निगरानी में रहें। जहां संभव हो, वहां आवाज के साथ दृश्य रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। सीधी निगरानी के लिए इंटरनेट की व्यवस्था भी निर्बाध रखनी होगी। प्रश्नपत्रों और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। इन्हें सीसीटीवी की निगरानी वाले विशेष कमरे में डबल लॉक वाली स्टील या लोहे की अलमारी में रखा जाएगा। कमरे में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

> परीक्षा केंद्रों को पूरी परीक्षा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखनी होगी। रिकॉर्डिंग मिटाने या उसमें छेड़छाड़ करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरे जानबूझकर बंद करने या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को गंभीर अनियमितता माना जाएगा। बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से पहले सभी केंद्रों को पूरी व्यवस्था का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
>
> (डा . राजेश शर्मा, चेयरमैन, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड)

Anant Gyan Dt. 11-09-2026

सीसीटीवी की नजर में होंगी एसओएस परीक्षाएं

अनंत ज्ञान ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) परीक्षाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग की निगरानी में रहेंगे।

परीक्षा हॉल, कमरों तथा प्रवेश-निकास द्वारों पर कैमरे चालू हालत में रखने होंगे। जहां संभव हो, वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। लाइव निगरानी के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नपत्र और अन्य गोपनीय सामग्री सीसीटीवी निगरानी वाले कमरों में डबल लॉक वाली स्टील या लोहे की अलमारी में रखी जाएगी। यहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा। बोर्ड ने परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। कैमरे बंद करने, फुटेज मिटाने या छेड़छाड़ करने को गंभीर अनियमितता माना जाएगा। तकनीकी खराबी की सूचना तत्काल बोर्ड को देनी होगी।

Himachal Dastak Dt. 11-09-2026

16 से शुरू होंगी एसओएस की परीक्षाएं, 6 माह तक सुरक्षित रखनी होगी सीसीटीवी फुटेज

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 सितंबर से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने परीक्षा केंद्रों के सभी कमरों, परीक्षा हॉल तथा प्रवेश-निकास द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों में लाइव निगरानी के लिए इंटरनेट की उचित व्यवस्था भी करनी होगी। प्रश्नपत्र और गोपनीय सामग्री सीसीटीवी की निगरानी वाले कमरे में दोहरी ताले वाली अलमारी में सुरक्षित रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। कैमरे बंद करने, फुटेज मिटाने या छेड़छाड़ करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा से पहले सभी केंद्रों को सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं का अंतिम परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

SEPTEMBER 11, 2026 FRIDAY HIMACHAL PRADESH

The Sunny Times

HIMACHAL BOARD DEPLOYS NON-STOP CCTV SURVEILLANCE FOR UPCOMING SOS EXAMS

The Sunny Times | Dharamshala

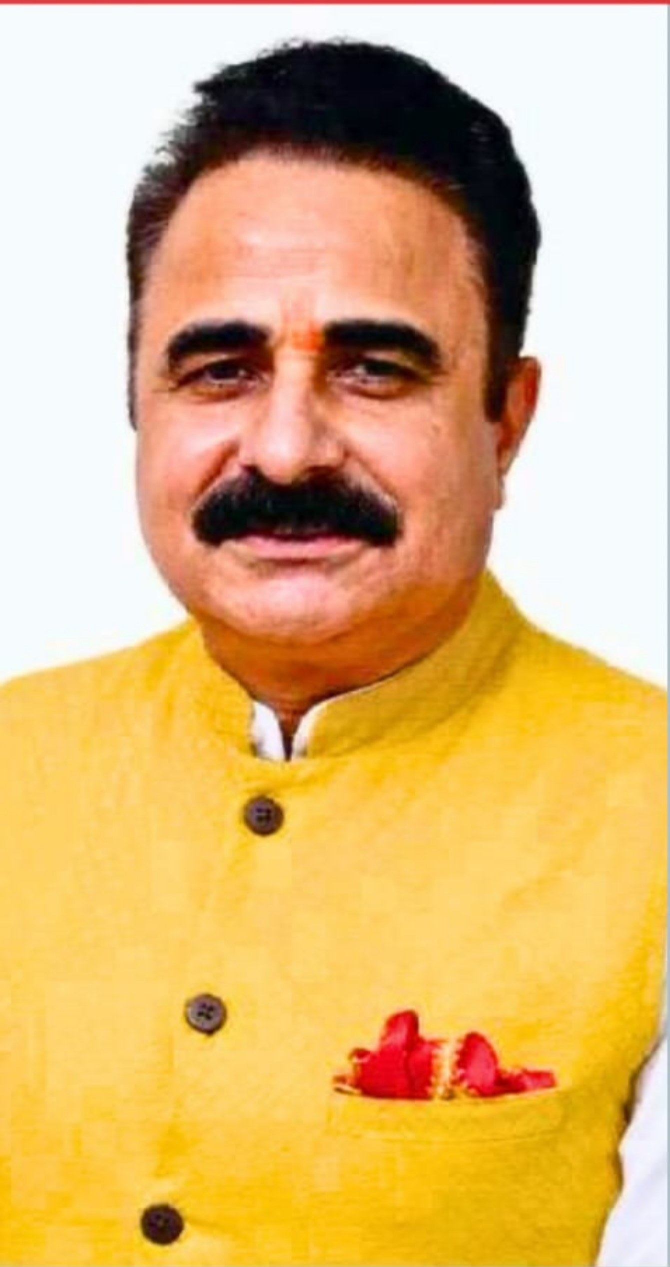

The Himachal Pradesh Board of School Education is stepping up vigilance to deliver completely leak-proof and cheat-free State Open School exams starting September 16, 2026. Under strict directives from Board Chairman Dr. Rajesh Sharma, every examination center across the state must now operate under constant video monitoring, leaving zero blind spots for malpractice.

Exam centers are required to equip all testing halls, classrooms, entry gates, and exit points with fully functional cameras providing complete visual coverage and, where possible, clear audio recording. These feeds will link directly to board officials through high-speed internet and static IP setups for real-time inspection. To eliminate any compromise in question paper security, all confidential test papers must remain stored inside steel double-lock cupboards placed within dedicated, camera-guarded vaults accessible solely by authorized personnel.

Centers are also mandated to preserve all recorded footage for at least six months on secure storage devices, ensuring authorities can review room activity long after tests conclude. All administrative updates, incident reports, and center logs must be submitted promptly through the official Exam Mitra mobile application.

School principals and designated IT invigilators bear full personal responsibility for keeping surveillance devices running without disruption. The board cautioned that intentionally powering off cameras, wiping recordings, or tampering with files will be treated as serious misconduct inviting direct legal penalties and disciplinary dismissal. All centers must conduct end-to-end dry runs ahead of exam day to confirm that both connectivity and recording systems function without a hitch.